

2024/387

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी  
तहसीलदार, नीमकाथाना

मुकाम नीमकाथाना  
गै.मु.रास्ता (सिरोही)

मुख्य सड़क से ढाणी रूपाकलां की तरफ तक  
गै.मु.रास्ता (सिरोही)  
मुख्य सड़क से ढाणी रूपाकलां की तरफ तक  
95 सन् 2024 जीसीएमएस नं.  
किस्म मुकदमा प्रपत्र क्रमांक 131, 132 जी.मु.रास्ता मु0नं0  
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तारीख  
हुकम

14-03-2024

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख  
में जारी हुए

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर समस्त खातेदारान को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हो।




(राजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

26/03/24


पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (गुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. /2024/1592 दिनांक 14.03.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1913, 1914, 1915, 1855 में गुजरने वाला रास्ता मुख्य सड़क से ढाणी रूपाकलां की तरफ तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ संलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जाँच करने के पश्चात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव

  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

ब नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
नीमकाथाना